मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1860 /1878/2020/ई/चार भोपाल,दिनांक 25/11/2020

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागायुक्त,
4. समस्त जिलाध्यक्ष,
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।

विषय:- विभागाध्यक्ष तथा वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा जारी की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों के पृष्ठांकन की प्रति महालेखाकार को भेजे जाने के संबंध में।

---0---

महालेखाकार, लेखापरीक्षा (द्वितीय) द्वारा वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि :-

वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान वित्त विभाग से संबंधित विभागों द्वारा नई सेवा खोले जाने संबंधी, पूंजीगत निवेश से संबंधित विभागों द्वारा सांविधिक निगमों,सरकारी कम्पनियों में पहली बार किये गये निवेशों से संबंधित तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियों की पृष्ठांकित प्रतियाँ महालेखाकार को उपलब्ध नहीं की जा रही है।

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 नियम-60 में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियाँ तथा आदेशों की प्रतियाँ महालेखाकार को संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वसूचित किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियाँ अनिवार्यतः महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित कर उपलब्ध कराई जाये।

(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 1861 /1878/2020/ई/चार, भोपाल,दिनांक 25/11/2020

प्रतिलिपि :-

महालेखाकार,लेखापरीक्षक (द्वितीय) की ओर पत्र क्रं.फास अनुभाग/ग्रांट फाईल 2020-21/डी/368,दिनांक 30.9.2020 एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षक) की ओर उनके पत्र क्रं. फास अनुभाग/ग्रांट फाईल /18-19/डी-209,दिनांक 24.8.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग